प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28-07-2022

विषय- जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी भूपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन लाल शर्मा को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-22897/सामा-1(7)/बुलन्दशहर/2022, दिनांक 14-07-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी भूपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन लाल शर्मा को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, चित्रकूट में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर/चित्रकूट।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर/चित्रकूट।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, बुलन्दशहर से जिला कारागार, चित्रकूट में स्थानान्तरित किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in